उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

Website: www.uppst.org

Phone no. 0522-2288187

Email: sectrustlko@gmail.com

पत्र संख्या– 1070/ट्रस्ट/पेंशन

दिनाँक–25.10.2018

ई0मेल0

समस्त उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी
परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण/सामग्री प्रबन्ध/पारेषण), पेंशन सेल
उ0प्र0पा0का0लि0/ उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0/उ0प्र0ज0वि0नि0/
समस्त डिस्काम एवं केस्को।

विषयः– पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा संचालित ट्रस्ट के पेंशन खाते में भारी धनराशि अवशेष में होना।

अवगत कराना है कि संबंधित बैकों द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिकांश इकाइयों के पेंशन खातो में 30.09.2018 को भारी धनराशि अवशेष के रूप में है। जबकि ट्रस्ट स्तर से निधि, माह मार्च 2018 के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि एवं न्यायालय प्रकरण के सापेक्ष निधि मांग के अतिरिक्त, अवमुक्त नहीं की जा रही हैं। ट्रस्ट द्वारा निर्गत धनराशि का उपभोग प्रमाणित किये जाने की अनिवार्यता है। भविष्य में पेंशन खातों का समाधान एवं मासिक लेखे तैयार कराकर, बन्द कराये जाने का निर्णय लिया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 30.09.2018 को रोकडबही एवं बैक खातो के अवशेष की अपने स्तर पर समीक्षा कर अवमुक्त धनराशि में से न्यायालय विचाराधीन/विवादित प्रकरणों हेतु आवश्यक धनराशि, जिसका भुगतान निकट भविष्य में किया जाना आवश्यक है, एवं खाते के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि को रोकते हुए शेष धनराशि RTGS/ A/C Payee Cheque के माध्यम से संकलित उपयोग विवरण/पत्र के साथ एक सप्ताह में भेजा जाना सुनिश्चित करें। यह भी प्रमाणित करें कि इकाई द्वारा समस्त अतिरिक्त धनराशि ट्रस्ट को स्थानान्तरित कर दी गयी है। साथ ही वर्ष 2017–18 के संकलित पेंशन लेखे भी ट्रस्ट कार्यालय को 15 दिवस में उपलब्ध कराए।

प्रारूप

उपयोग विवरण

क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वि0)/निगम का नाम–

दिनांक 30.09.2018/अद्यतन स्थिति

क्रम सं0	पेंशन वितरण खण्ड का नाम	रोकड़बही के अनुसार पेंशन खाते का अवशेष	बैंक के अनुसार पेंशन खाते का अवशेष	अन्तर धनराशि	आधिक्य राशि का औचित्य सहित विवरण संलग्न	टिप्पणी/आधिक्य राशि ट्रस्ट को भेजने का विवरण
1						
2						

लेखाधिकारी उपमुख्य लेखाधिकारी

(पी0के0 गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
एवं सचिव, ट्रस्ट

पंत्र संख्या– 1070/ट्रस्ट/पेंशन तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

ई0मेल0

1. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0/उ0प्र0ज0वि0नि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वित्त), समस्त डिस्काम लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी।
5. अधिशासी अभियंता (कम्प्यूटर) को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु

(पी0के0 गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
एवं सचिव, ट्रस्ट